

29⁴/₂₄

अखिरका उभय पक्ष उपराली
वार पत्र के निर्देश हो जाते हो
इस उपराली में कोई कार्यवाही
कोषाहित नहीं रहते हो। अतः उपराली
के अन्तर्गत शुभ्रा होकर गठन से काम हो
एके मुल वार पत्र (काली) 157/2020 के
(साथ प्रमाण) करे जाव।

h

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)